भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3315
13.03.2020 को उत्तर के लिए

ई-अपशिष्ट

3315. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के समीपीय क्षेत्रों में अनेक कारखानों के ई-अपशिष्ट/बैटरी को जलाने से धातु निकलने के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है और लोगों में फेंफड़े के कैंसर की संभावना बढ़ रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी भागों में उत्पादित और पुनर्चक्रित ई-अपशिष्ट की प्रमात्र कितनी है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, गाजियाबाद जिला प्रशासन, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद पुलिस, नगरपालिका परिषद, लोनी और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संयुक्त दल ने सेवाधाम, बेहटा हाजीपुर, कृष्णा विहार के आस-पास के क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया और ऐसी 80 अप्राधिकृत इकाइयों को नष्ट कर दिया। वर्तमान में, इन इकाइयों से जब्त किए गए ई-अपशिष्ट को नगर पालिका परिषद, लोनी कार्यालय में रखा गया है। ई-अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करने हेतु, सरकार द्वारा ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 अधिसूचित किए गए हैं और उन्हें प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करने हेतु मार्च, 2018 में उनमें और संशोधन किए गए हैं। इन नियमों के प्रावधानों में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, एकत्रीकरण एवं पुनर्चक्रण को सुकर बनाने हेतु उत्पादक उत्तरदायित्व संगठनों एवं ई-अपशिष्ट विनिमय केन्द्रों की स्थापना, सुरक्षित निपटान हेतु थोक उपभोक्ताओं को विशेष उत्तरदायित्व सौंपना शामिल हैं। इन नियमों

में इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के एकत्रीकरण एवं चैनलीकरण हेतु विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के उत्पादकों के उत्तरदायित्व का भी उल्लेख किया गया है। राज्य सरकारों को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वे ई-अपशिष्ट के विघटन एवं पुनर्चक्रण केन्द्रों के लिए औद्योगिक स्थान चिह्नित करें, औद्योगिक कौशल विकास कार्यकलाप शुरू करें और ई-अपशिष्ट के विघटन एवं पुनर्चक्रण केन्द्रों में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा और सुरक्षा के लिए उपाय निर्धारित करें।

(ग) वित्तीय वर्ष 2017-2018 में, ई अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 की अनुसूची-I में यथा-सूचीबद्ध इक्कीस विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए 244 उत्पादकों की बिक्री के आंकड़ों के आधार पर ई-अपशिष्ट के सृजन की अनुमानित मात्रा 7,08,445 टन है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, 1168 उत्पादकों की बिक्री के आंकड़ों के आधार पर ई-अपशिष्ट के सृजन की अनुमानित मात्रा 7,71,2015 टन है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान 69,414 एमटी और 2018-19 के दौरान 1,64,663 एमटी ई-अपशिष्ट को एकत्रित, विघटित पुनर्चक्रित किया गया।

****